R.C.

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,

जयपुर, राजस्थान

क्रमांक / डीसी / डी–3 / 2015 / 390 दिनांक 08/07/2015

प्रभारी सेन्ट्रल सर्वर रूम,
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर गु0

विषयः– वाद दायर किये जाने के अनुदेश की प्रति को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा अपरी वाद दायर किये जाने के अनुदेश क्रमांक / डीसी / डी–3 / श्रीगंगानगर-95 / 2015 / 333 दिनांक 24.06.2015 क्रमांक / डीसी / डी–3 / चूरू–18 / 2015 / 345 दिनांक 26.06.2015, क्रमांक / डीसी / डी–3 / एम्पी–195 / 2015 / 377 दिनांक 01.07.2015 तीनों पत्रों को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (तीन)

(के0 जयवन्त)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(के0 जयवन्त)

[redacted]

[redacted]

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः–डीसी/डी–3/श्रीगंगानगर– 95/2015/ दिनांक

// आदेश //

औषधि नियंत्रण अधिकारी, श्री रामपाल ने दिनांक 25.04.2014 को मिली सूचना के आधार पर फर्म **मै0 गुरू गोविन्द मेडिकोज शॉप नं. 1, बस स्टैण्ड के पीछे, नेहरू पार्क के पास, श्रीगंगानगर** (राज0) का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अन्य तथ्यों के अलावा एन.डी.पी.एस घटक युक्त 06 प्रकार की औषधियॉ संग्रहित पाई गई। जिनके क्रय रिकार्ड प्रस्तुत नही करनें पर फार्म नं0 15 में फ्रीज किया गया तथा बाद में उन्हे नियमानुसार फार्म नं0 16 में सीज भी किया गया।

आज दिनांक 24.06.2015 को **श्री रामपाल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, श्रीगंगानगर** मेरें समक्ष उपस्थित हुऐ, उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त मूल दस्तावेजो का अध्ययन एवं मनन करने तथा अनवेषण के बिन्दूओं पर चर्चा करनें के पश्चात **फर्म मैसर्स गुरू गोविन्द मेडिकोज, शॉप नं. 1, बस स्टैण्ड के पीछे, नेहरू पार्क के पास, श्रीगंगानगर (राज0)** द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्लंधन करना भली भाती साबित पाये जाने पर नियम 51(5) के तहत श्री रामपाल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष हस्ताक्षर कर समस्त दोषियों के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुदेश दिये जाते है।

ह0
(के0 जयवन्त)
कन्ट्रोलिंग आथोरिटी एवं
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

क्रमांकः–डीसी/डी–3/श्रीगंगानगर– 95/2015/ 383 दिनांक 24/06/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलेक्टर, जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. सहायक औषधि नियंत्रक, श्रीगंगानगर (राज0) को उनके पत्र क्रमांक 410–11 दिनांक 14.05..2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. श्री रामपाल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, श्रीगंगानगर (राज0) केम्प जयपुर को दस्ती देकर निर्देशित किया जाता है कि अपराध प्रमाणित करने योग्य दस्तावेजात एवं गवाह सूची सहित सक्षम न्यायालय में शीघ्र इस्तगासा दायर कर की गई कार्यवाही से संगठन को अवगत करावें।
4. रक्षित पत्रावली/पी. डेस्क, मु0/सी–डेस्क मु0/प्रभारी सर्वर रूम।

24/6/15
(के0 जयवन्त)
कन्ट्रोलिंग आथोरिटी एवं
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान

कमांकः–डीसी/डी–3/चूरू–18/2015/ दिनांक

// आदेश //

औषधि नियंत्रण अधिकारी, चूरू श्री चन्द्रकान्त शर्मा द्वारा दिनांक 29.08.2014 को **श्रीमति समिता पत्नी श्री सुखानन्द निवासी 293घ, बण्डवा रोड़ के पश्चिम में, वार्ड नं0 20, राजलदेसर, तह0 रतनगढ़ जिला–चूरू द्वारा संचालित मैसर्स विकास क्लीनिक छींपा मोहल्ला, छीपा मस्जिद के सामने, राजलदेसर तह0 रतनगढ़** जिला चूरू के निरीक्षण /जांच हेतु गये परन्तु क्लीनिक संचालिका द्वारा क्लीनिक छोडकर चले जाने एवं उक्त क्लीनिक परिसर में औषधियों का विकयार्थ भण्डारण होने के कारण मौके पर उक्त क्लीनिक को तालाबंद कर सील चस्पा किया गया। दिनांक 29.08.2014 को क्लीनिक संचालिका को दिनांक 09.09.2014 को उपस्थित होकर उक्त क्लीनिक परिसर मे औषधियों का विकयार्थ भण्डारण बाबत आवश्यक जांच करवाने हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 09.09.2014 को तालाबन्द चस्पा सील को हटाया गया। निरीक्षण दौरान उक्त क्लीनिक परिसर में एलोपैथिक औषधियों का विकयार्थ प्रदर्शन/भण्डारण करना पाया गया, किन्तु उक्त संचालिका द्वारा वैध औषधि अनुज्ञापत्र एवं क्लीनिक परिसर में विकयार्थ एवं भण्डारण हेतु प्रदर्शित औषधियों के कय–विकय बिल निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त क्लीनिक से विकयार्थ प्रदर्शित एलोपेथिक औषधियों में से जांच/विश्लेषण हेतु 01 औषधि का नमूना नियमानुसार लिया गया एवं शेष औषधियों को फार्म 16 में दर्ज कर नियमानुसार जब्त कर एक प्रति श्रीमति समिता पत्नी श्री सुखानन्द को देकर रसीद प्राप्त की गई, इसके पश्चात् माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष दिनांक 10.09.2014 को जब्त शुदा औषधियों को अभिरक्षा में रखने के लिये प्रार्थना पत्र दिया जिस पर न्यायालय द्वारा अभिरक्षा में रखने के आदेश जारी किये गये।

आज दिनांक 26.06.2015 को श्री चन्द्रकान्त शर्मा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, चूरू मेरें समक्ष उपस्थित हुऐ, उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त मूल दस्तावेजो का अध्ययन एवं मनन करने तथा अनवेषण के बिन्दूओं पर चर्चा करनें के पश्चात **श्रीमति समिता पत्नी श्री सुखानन्द निवासी 293घ, बण्डवा रोड़ के पश्चिम में, वार्ड नं0 20, राजलदेसर, तह0 रतनगढ़ जिला–चूरू द्वारा संचालित मैसर्स विकास क्लीनिक छींपा मोहल्ला, छीपा मस्जिद के सामने, राजलदेसर तह0 रतनगढ़ जिला चूरू** द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्लंघन करना भली भांति साबित पाये जाने पर नियम 51(5) के तहत श्री चन्द्रकान्त शर्मा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, चूरू के समक्ष हस्ताक्षर कर समस्त दोषियों के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुदेश दिये जाते है।

ह0

(के0 जयवन्त)
कन्ट्रोलिंग आथोरिटी एवं
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

कमांकः–डीसी/डी–3/चूरू–18/2015/345 दिनांक 26.06.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलेक्टर, जिला चूरू (राज0)
2. सहायक औषधि नियंत्रक, चूरू (राज0) को उनके पत्र कमांक 345–46 दिनांक 08.05.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. श्री चन्द्रकान्त शर्मा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, चूरू (राज0) केम्प जयपुर को दस्ती देकर निर्देशित किया जाता है कि अपराध प्रमाणित करने योग्य दस्तावेजात एवं गवाह सूची सहित सक्षम न्यायालय में शीघ्र इस्तगासा दायर कर की गई कार्यवाही से संगठन को अवगत करावें।
4. रक्षित पत्रावली/पी. डेस्क, मु0/सी–डेस्क मु0/प्रभारी सर्वर रूम

26/6/15

(के0 जयवन्त)
कन्ट्रोलिंग आथोरिटी एवं
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

क्रमांकः–डीसी/डी–3/एम.पी.–195/2015/ दिनांक :–

:: आदेश ::

औषधि नियंत्रण अधिकारी, मुख्यालय जोधपुर द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के अन्तर्गत औषधि Nimesulide Tablets 100mg (NICI) बैच सं0 NICI-1413, निर्माण तिथि Oct. 2011, अवधिपार तिथि Sep. 2013, निर्माता M/s Danish Laboratories, 13, Dadabhai Naoroji Marg, Ujjain-456001 का नमूना जॉच/विश्लेषण हेतु लिया गया, जो कि राजकीय विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट क्रमांक 1913/2012–2013/DTL/2013 दिनांक 28.03.2013 के अनुसार निम्नांकित कारण से 'अवमानक कोटि (Not of Standard Quality) का पाया गयाः–

"The sample doesnot conform to the claim with respect to Assay of Nimesulide".

Assay	Claim	Found	Method
Nimesulide	100.00mg	81.19mg (i.e.81.19% of claim)	Colourimetric

चूंकि किसी भी फर्म अथवा उक्त औषधि के निर्माता द्वारा उक्त टैस्ट रिपोर्ट को नियमानुसार Challenge नहीं किया गया है, अतः उक्त टैस्ट रिपोर्ट Conclusive Evidence है।

आज दिनांक 01.07.2015 को श्री हंसराज मण्डा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जोधपुर मेरें समक्ष उपस्थित हुऐ, उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त मूल दस्तावेजो का अध्ययन एवं मनन करने तथा अनवेषण के बिन्दूओं पर चर्चा करनें के पश्चात औषधि निर्माता, निर्माता फर्म के जिम्मेदार मालिक/भागीदार, औषधि निर्माण एवं विश्लेषण के लिये जिम्मेदार मैन्यूफेक्चरिंग एवं एनालेटिकल केमिस्टों एवं प्रश्नगत औषधि के संग्रह, विकय व वितरण से जुडे सभी औषधि विकेताओं तथा सम्बद्ध सभी दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्लंधन करना भली भांति साबित पाये जाने पर नियम 51(5) के तहत श्री हंसराज मण्डा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जोधपुर के समक्ष हस्ताक्षर कर समस्त दोषियों के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुदेश दिये जाते है।

(के. जयवन्त)
कन्ट्रोलिंग आथोरिटी एवं
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर
दिनांक :– 01/07/2015

क्रमांकः–डीसी/डी–3/एम.पी.–195/2015/ 377
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला कलेक्टर, जिला जोधपुर (राज0)।
2. सहायक औषधि नियंत्रक, जोधपुर (राज0)।
3. श्री हंसराज मण्डा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, मुख्यालय जोधपुर (राज0) केम्प जयपुर को दस्ती देकर निर्देशित किया जाता है कि अपराध प्रमाणित करने योग्य दस्तावेजात एवं गवाह सूची सहित सक्षम न्यायालय में शीघ्र इस्तगासा दायर कर की गई कार्यवाही से संगठन को अवगत करावें।
4. कम्प्यूटर डेस्क/की–डेस्क/गार्ड फाईल/प्रभारी सर्वर रूम ।

1/7/15

(के. जयवन्त)
कन्ट्रोलिंग आथोरिटी एवं
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर